कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गाजीपुर

पत्र सं0: प-2213/एफ0एस0-2022 दिनांक : 01-02-2022

सेवा में,

के0वी0एस0 इंस्टीच्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइन्स एण्ड रिसर्च सेन्टर
मरदापुर, बक्सुपुर, गाजीपुर।

विषय- **ग्राम मरदापुर, बक्सपुर तहसील जखनियाँ जिला वाराणसी पर प्रस्तावित के0वी0एस0 इंस्टीच्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइन्स एण्ड रिसर्च सेन्टर मरदापुर, बक्सुपुर, गाजीपुर के निर्मित भवन के अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण के सम्बन्ध में।**

आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 01-02-2022 के माध्यम से अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की माँग की है।

उक्त विषयक भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुरूप अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से निरीक्षण/परीक्षण कराया गया, निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

1- पूरे भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर व होजरील का प्राविधान एन0बी0सी0 2005 के अनुरूप कराया जाय।

2- 25000 ली0 क्षमता का टेरेस टैंक बनाकर 900 ली0/मि0 क्षमता के टेरेस पम्प से जोड़ते हुए ए0आर0वी0 और एन0आर0वी की सहायता से उसको होजरील से जोड़ा जाय।

3- सेटबैक का किसी भी दशा मे अतिक्रमण नहीं करेंगे, पार्किंग इस प्रकार करेंगें कि आवश्यकता पड़ने पर कारों को हटाकर खाली स्थान का प्रयोग अग्निशमन कार्यों में किया जा सके।

अतः उपरोक्त प्रतिबन्धों के आधार पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, जो तीन वर्ष तक वैध होगा। उल्लेखनीय है कि निर्माण हो जाने के उपरान्त सुरक्षा व्यवस्था एवं अग्नि से सुरक्षा व्यवस्था एन0बी0सी0 मानक के अनुसार पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही पुनः निरीक्षण कर अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा। अन्यथा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी,)
गाजीपुर

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गाजीपुर